न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2706–दो/13 विरूद्ध सीमाकंन आदेश दिनांक 4–6–2013 पारित द्वारा तहसीलदार सीहोर, प्रकरण क्रमांक 150/अ–12/12–13 एवं 151/अ–12/12–13.

1 इमरत सिंह आत्मज धनराज, आयु 40 वर्ष
2 जितेन्द्र आत्मज श्री धनराज आयु वयस्क
3 बने सिंह आत्मज श्री किशन आयु 55 वर्ष
तीनों निवासीगण ग्राम सेमरादांगी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर म0 प्र0

.........आवेदकगण

विरूद्ध

1 राजेश शर्मा आत्मज रामनारायण आयु वयस्क
2 बृजेश शर्मा आत्मज रामनारायण आयु वयस्क
3 रामनारायण शर्मा आत्मज मूलचंद आयु वयस्क
तीनों निवासीगण ग्राम सेमरादांगी तहसील एवं जिला सीहोर म0 प्र0

........अनावेदकगण

श्री एस0 के0 गुरोंदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जय प्रकाश त्यागी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सीहोर द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 4–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 3 रामनारायण शर्मा द्वारा तहसीलदार, सीहोर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि श्यामाबाई द्वारा 31–10–2012 को भूमि सर्वे क्रमांक 313/4 रकबा 0.467 हैक्टेयर एवं सर्वे

कमांक 313/5 रकबा 0.467 हैक्टेयर कुल किता दो रकबा 0.934 हेक्टेयर के सीमाकंन पर आपत्ति लगाई गई कि आस पड़ोस में फसल बुआई कर दी गई है । वर्तमान में फसल नहीं बोई गई है और भूमि रिक्त पड़ी है एवं भूमि सर्वे कमांक 318/3, 320/1, 311/2ग एवं 313/3 कुल रकबा 2.87 एकड़ है । इस प्रकार सभी सर्वे नंबरों को मिलाकर रकबा 7.10 एकड़ है । अतः श्यामवती बाई द्वारा लगाई गई आपत्ति निरस्त की जाकर सीमाकंन के आदेश प्रदान किये जायें । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 150/अ–12/12–13 दर्ज किया जाकर सीमाकंन किये जाने के निर्देश राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 एवं हल्का पटवारी को दिये गये । तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा भूमि सर्वे नंबर 318/3, 320/1, 312/2ग एवं 313/3 रकबा कमशः 0.498 हैक्टेयर, 0.089 हैक्टेयर, 1.011 हैक्टेयर एवं 1.275 हैक्टेयर का सीमाकंन किया जाकर सीमाकंन प्रतिवेदन तहसीलदार, सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार, सीहोर द्वारा दिनांक 2–6–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 3 रामनारायण शर्मा द्वारा तहसीलदार, सीहोर के समक्ष सर्वे कमांक 313/4 एवं 313/5 कुल रकबा 0.934 हैक्टेयर के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 151/अ–12/12–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 9–4–2013 को राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 एवं हल्का पटवारी 44 को सीमाकंन के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28–4–2013 को उक्त भूमि का सीमाकंन किया जाकर सीमाकंन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–6–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किये गये । तहसीलदार द्वारा पारित उपरोक्त दोनों सीमाकंन आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदकगण ने अन्य केतागण 1 लगायत 6 के साथ मिलकर अनावेदक 1 लगायत 3 सहित स्व0 मूलचंद के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बना कर बाद सीमाकंन प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 313 के कुल रकबा में से 1.90 एकड़ भूमि की विषय वस्तु पर आधारित स्वत्व घोषणा व अनुसांगिक सहायता का वाद दिनांक 17–7–2013 को व्यवहार न्यायालय तृतीय

सिविल जज वर्ग–2 सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो व्यवहार वाद कमांक 50–अ/2013 पर पंजीबद्ध होकर लंबित है, जिसके विचारण काल में अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदकगण के हित में दिनांक 19–12–13 को व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी है ।

(2) निगरानी पत्र में उल्लेखित प्रकरण के तथ्यों पर न्यायोचित दृष्टिपात करने से यह प्रथम दर्शीय प्रकट होता है कि अनावेदकगण को दोषयुक्त भूमि खसरा के बटान के आधार पर भूमि सर्वे नंबर 313/3, 313/4, 313/5 का सीमाकंन कराने का कोई अधिकार पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20–6–1991 के परिणाम स्वरूप 20 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है । इस कारण अनावेदकगण द्वारा दो विभिन्न प्रकरण दर्ज कराकर कराया गया सीमाकंन भी प्रथम दर्शीय दोषयुक्त है ।

(3) आवेदकगण ने निगरानी पत्र के विधिक आधार 1 लगायत 6 के आधार पर सीमाकंन कार्यवाही को चुनोती दी है । सीमाकंन कार्यवाही भी दिनांक 28–4–2013 के पंचनामा में की गई काटा पीटी के आधार पर वैध ठहराये जाने योग्य नहीं रह जाती है ।

(4) आवेदक कमांक 3 बने सिंह का कब्जा भूमि सर्वे नंबर 312/2 ग वाले भाग पर उसके भाईयों सहित पाया गया है, जिससे भी परस्पर विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है । परिणाम स्वरूप ऐसे सीमाकंन में अपनाई गई प्रकिया और कार्यवाही भी दोषयुक्त है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक कमांक 3 रामनारायण शर्मा के पिता मूलचन्द शर्मा द्वारा ग्राम सेमरादांगी की भूमि 313 रकबा 1.90 एकड़ कभी किसी भी केता को विकय नहीं की है और न ही उस केता द्वारा आवेदकगण के पक्ष में भूमि की अदलाबदली की है । इस कारंण से यह निगरानी आवेदकगण द्वारा असत्य आधारों पर पेश की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है, बल्कि सत्यता यह है कि अनावेदकगण के पिता मूलचंद शर्मा आ0 रघुनाथ जी शर्मा निवासी ग्राम सेमरा दांगी ने दिनांक 20–6–1991 को जो विकय पत्र शरीफ खां को निष्पादित कराया है, जिसका खसरा नंबर 312/1 तथा उसका रकबा 1.90 एकड़ है । इस प्रकार से न तो आवेदकगण उपरोक्त भूमि के भूमिस्वामी है और न ही अनावेदकगण को परस्पर अदलाबदली करने का कोई अधिकार है । इस कारण से सीमाकंन के बाद उक्त निगरानी बिना किसी आधार के प्रस्तुत की है, ताकि अनावेदकगण अपनी भूमि पर

सीमाकंन के आधार पर अवैध कब्जेदारों को नहीं हटा सके । अतः यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने जो सीमाकंन आदेश पारित किया है वह सम्पूर्ण विधिक प्रकिया के अनुसार है, उसमें आवेदकगणों को एवं खसरे नंबर के मेढ़ पडोसियों को सूचना पत्र जारी किया गया एवं पंचनामें पर हस्ताक्षर भी कराये गये थे । उक्त सीमाकंन के आदेश को निरस्त किया गया तो अनावेदकगण को अपार क्षति होगी तथा सीमाकंन आदेश अनुसार अनावेदकगण कब्जा प्राप्त करने में विफल हो जावेगे ।

(3) आवेदकगण द्वारा बिना किसी रिकार्ड के अपना कब्जा विगत कई वर्षो से चला आना दर्शाया है, जो कि असत्य है । आवेदकगण का अनावेदकगण की किसी भी भूमि पर इतने लंबे समय से कोई कब्जा नहीं है, ऐसी स्थिति में उनकी निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28–4–2013 को सीमाकंन किये जाने बाबत सूचना पत्र जारी किया गया है । उक्त सूचना पत्र में आवेदक कमांक 2 जीतेन्द्र एवं आवेदक कमांक 3 बने सिंह के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है । दिनांक 28–4–2013 को सीमाकंन किया जाकर पंचनामा तैयार किया गया है, जिसमें आवेदक कमांक 1 इमरत सिंह एवं आवेदक कमांक 3 बने सिंह के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है । इस प्रकार आवेदकगण की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमियों के सीमाकंन किये गये है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28–4–2013 को ही सीमाकंन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–6–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किये गये हैं । सीमाकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से आदेश पारित होने तक की अवधि में आवेदकगण की ओर से सीमाकंन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि आवेदकगण का यह दायित्व था कि इस न्यायालय में उठाई गई आपत्तियों को सीमाकंन आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता । निगरानी स्तर पर आपत्तियों पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जहां तक व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न है, व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सीमांकन एवं संहिता की धारा

250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही को बाधित नहीं किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमाकंन आदेश पूर्णतः विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4—6—2013 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर